



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 649 राँची, बुधवार, 10 कार्तिक, 1945 (श०)
1 नवंबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 अक्टूबर, 2023

संचिका संख्या-7/न्यायालय-1001/2021का. 5835--W.P.(S) No-104/2021 रीता उपाध्याय बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 25.01.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“Considering the said submissions of the parties, I find that the ground for declining promotion to the petitioners is that their degrees were issued by Hindi Vidyapith, Deoghar. The issue relating to the validity of the degrees issued by Hindi Vidyapith, Deoghar has been set at rest by this Court vide judgment dated 10.05.2022 passed in WP(C) No. 3115 of 2015. In paragraph No. 23 of the said judgment, it has been held that the degrees which have been issued by Hindi Vidyapith, Deoghar up to 26.02.2015 are valid. Admittedly, the original petitioner No.1 and petitioner No.2 possessed the degrees issued by Hindi Vidyapith Deoghar which were issued prior to

26.02.2015. Thus their degrees are valid degrees. Since the degrees of the petitioners are valid and their cases for promotion need to be reconsidered by the authorities.

Thus, I direct the heirs of the petitioner No.1 to approach before the Director, Department of Tourism, Government of Jharkhand and petitioner No.2 to approach before the Director (Prosecution), Government of Jharkhand by filing a representation for considering their cases for promotion. The said representations should be filed within six weeks from today. On receipt of representations, the respondents will consider the cases of the petitioner and, if necessary, place it before the appropriate authority, who will consider the case of the petitioners and pass necessary orders. If it is found that the petitioners are entitled for promotion, their cases should be considered on and from the date their juniors were promoted and the benefits should be extended including the monetary benefits."

2. झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति निमित्त दिनांक 27.11.2020 को सम्पन्न बैठक में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1863 दिनांक 26.02.2015 एवं 4786 दिनांक 01.06.2015 के आलोक में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त साहित्यालंकार प्रमाण पत्र नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए मान्य नहीं होने के कारण श्री कपिल मुनी उपाध्याय एवं श्री टीप लाल साह सहित कुल 06 पदधारकों को प्रोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री कपिलमुनी उपाध्याय एवं श्री टीप लाल साह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय W.P.(S)No.-104/2021 कपिलमुनी उपाध्याय बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। इसी क्रम में श्री उपाध्याय का देहवाशन दिनांक 26.07.2022 को हो गया। तदुपरान्त विषयांकित वाद में प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया, जिसके बाद उक्त वाद का नाम W.P.(S) No.104/2021 रीता उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य हो गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2023 को अन्तरिम न्यायादेश पारित किया गया।

4. W.P.S-3115/2015 विजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश की कंडिका-23 में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त डिग्री को दिनांक 26.02.2015 तक मान्य किये जाने के आलोक में W.P.S-104/2021 में दिनांक 25.01.2023 को पारित न्यायादेश में उक्त का उल्लेख करते हुए वादी के प्रोन्नति के मामले पर पुनर्विचार का निदेश दिया गया है।

उक्त न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 3475 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा विभागीय पत्रांक 1863 दिनांक 26.02.2015 एवं उक्त का स्पष्टीकरण पत्रांक 4786 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त करते हुए हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया:-

- (क) दिनांक 26.02.2015 एवं इसके पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत विषयांकित उपाधियाँ नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्य रहेंगे।
- (ख) दिनांक 26.02.2015 के पश्चात् हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा निर्गत विषयांकित उपाधियाँ नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्य नहीं रहेंगे।
- (ग) उपर्युक्त उपकंडिका-(क) एवं (ख) में अंकित निर्णय दिनांक 26.02.2015 से प्रभावी रहेंगे।

5. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक से झारखण्ड सचिवालय सेवा के सहायक कोटि में प्रोन्नति निमित्त दिनांक 24.01.2012 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री कपिलमुनी उपाध्याय एवं श्री टीपलाल साह को हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत साहित्यालंकार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सहायक (सम्प्रति-सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) कोटि में प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा की गई है। तदनुसार उक्त द्वय पदाधिकारियों की साहित्यालंकार की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 26.02.2015 से पूर्व की है।

6. श्री टीप लाल साह, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत अभियोजन निदेशालय का देहवाशन दिनांक 13.09.2023 को हो गया।

7. स्व० उपाध्याय का वरीयता क्रमांक-48 एवं स्व० साह का वरीयता क्रमांक-71 है। स्व० उपाध्याय से कनीय श्री जयन्त कुमार, वरीयता क्रमांक-49 एवं स्व० साह से कनीय श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, वरीयता क्रमांक-72 को दिनांक-27.11.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 6289 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में श्री जयन्त कुमार द्वारा दिनांक-07.12.2020 को तथा श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक-14.12.2020 को प्रभार ग्रहण किया गया है।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2074 दिनांक 04.04.1985 में वैचारिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वरीय सरकारी सेवक को कनीय को दी गई तिथि से प्रोन्नति देते हुए उनका वेतन उच्चतर वेतन में इस प्रकार निश्चित किया जाएगा, मानो कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत हों तथा इसका वास्तविक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा।

9. अतः दिनांक-19.07.2023 को सम्पन्न बैठक में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को झारखण्ड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे.- रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) से प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. - II, पे. बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे.- रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) में दिनांक-04.12.2020 के प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ पदस्थापन एवं वरीयता क्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1	स्व० कपिलमुनी उपाध्याय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (वरीयता क्रमांक-48)	स्व० कपिलमुनी उपाध्याय, (वरीयता क्रमांक-48) सम्प्रति-सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से कनीय श्री जयन्त कुमार (वरीयता क्रमांक-49) को विभागीय अधिसूचना सं०-6289 दिनांक-04.12.2020 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में दी गई प्रोन्नति की तिथि 04.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति एवं श्री जयन्त कुमार द्वारा उक्त पद पर किये गये पदभार ग्रहण की तिथि दिनांक-07.12.2020 से वेतन निर्धारण के लाभ के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
2.	स्व० टीप लाल साह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (अभियोजन निदेशालय) (वरीयता क्रमांक-71)	स्व० टीपलाल साह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक-71) से कनीय श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह (वरीयता क्रमांक-72) को विभागीय अधिसूचना सं०-6289 दि०-04.12.2020 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में दी गई प्रोन्नति की तिथि 04.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति एवं श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उक्त पद पर किये गये पदभार ग्रहण की तिथि दिनांक-14.12.2020 से वेतन निर्धारण के लाभ के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

10. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2074/वि(2) दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक 4969 दिनांक 01.09.2023 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक-05.10.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या-02 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
